भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3088

22 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

बहुराज्यीय- सहकारी समितियों हेतु साझा मुख्यालय

3088. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में अपनी शाखाओं के माध्यम से कृषि, वस्त्र, हस्तशिल्प, रियलटर्स और अन्य बहु-विविध क्षेत्रों से संबंधित मामलों में कार्यरत अनेक बहु-राज्यीय, राष्ट्रव्यापी सहकारी समितियों के लिए एक साझा मुख्यालय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इन राष्ट्रव्यापी सहकारी समितियों को अपने वित्तीय खातों और प्रशासनिक कार्यों को देश में कहीं से भी संचालित करने की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक बहु-राज्य सहकारी समिति के व्यवसाय का एक प्रमुख स्थान होगा जो सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय होगा। किसी सोसायटी का पंजीकृत पता, जैसा कि उसके उपविधियों में निर्दिष्ट होता है, देश में कहीं भी हो सकता है।

*****